BTR-Be/15/2024-BTR-BOR

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

संसं0–3/बे0 राज–56/2012– 1212

पटना, दिनांक– 25-04-2025

कार्यालय आदेश

सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–28.03.2025 को बेतिया राज के कर्मियों के वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक वृद्धि के संबंध में व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया के साथ आयोजित बैठक में बनी सहमति पर माननीय अध्यक्ष–सह–सदस्य–सह–प्रतिपाल्य अधिकरण, बेतिया राज के अनुमोदनोपरांत बेतिया राज के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक तथा बेतिया राज के मंदिरों में कार्यरत पुजारी के मानदेय में निम्न प्रकार से वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है:–

क्र0 सं0	कर्मी का पदनाम/पदस्तर	वर्तमान प्राप्त हो रहे वेतनमान/मानदेय	प्रस्तावित वेतनमान/मानदेय/मासिक पारिश्रमिक	अभ्युक्ति
1	लिपिक स्तर	2550–55–2660–60–3200	5200–20200+ग्रेड पे–1900	प्राप्त हो रहे अनुमान्य भत्ता
2	कार्यालय परिचारी स्तर/चतुर्थ वर्गीय कर्मी	2000–50–2300–55–3000	4440–7440+ग्रेड पे–1650	प्राप्त हो रहे अनुमान्य भत्ता
3	मानदेय पर कार्यरत सिपाही(चतुर्थ वर्गीय स्तर)	1800	श्रम संसाधन विभाग के द्वारा अर्द्धकुशल मजदूरी के वर्तमान न्यूनतम **दर 440 रू0 प्रतिदिन के अनुसार कुल–11440 रू0 प्रतिमाह** तय किया जाय जिसमें से (13+12) = 25% राशि उनके ई0पी0एफ0 में जमा करने हेतु कटौती की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि की जायेगी। सिपाही को बेतिया राज से 02 सेट वर्दी प्रतिवर्ष दिया जायेगा।	कार्यालय प्रधान, (व्यवस्थापक, बेतिया राज) पर ई0पी0एफ0 संधारण एवं उसमें राशि जमा करने की जिम्मेवारी होगी।
4.	झाडुकश	1350	श्रम संसाधन विभाग के द्वारा अकुशल मजदूरी के वर्तमान न्यूनतम **दर 424 रू0 प्रतिदिन के अनुसार कुल–11024 रू0 प्रतिमाह** तय किया जाय जिसमें से (13+12) = 25% राशि उनके ई0पी0एफ0 में जमा करने हेतु कटौती की जायेगी।	कार्यालय प्रधान, (व्यवस्थापक, बेतिया राज) पर ई0पी0एफ0 संधारण एवं उसमें राशि जमा करने की जिम्मेवारी होगी। अन्य कर्मी की भांति ये पूर्णकालिक रूप से पूरे कार्य समय कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
5.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	10000	बेतिया राज के कार्यों हेतु कम्पनी द्वारा उपलब्ध कम्प्यूटर ऑपरेटर के समान इन्हें **18154 प्रतिमाह** मानदेय तय किया जाय जिसमें से (13+12) = 25% राशि उनके	कार्यालय प्रधान, (व्यवस्थापक, बेतिया राज) पर ई0पी0एफ0 संधारण एवं उसमें राशि जमा करने की

			ई0पी0एफ0 में जमा करने हेतु कटौती की जायेगी।	जिम्मेवारी होगी।
6.	चालक	7826/माह	श्रम संसाधन विभाग के द्वारा अर्द्धकुशल मजदूरी के वर्तमान न्यूनतम **दर 440 रू0 प्रतिदिन के अनुसार कुल–11440 रू0 प्रतिमाह** तय किया जाय जिसमें से (13+12) = 25% राशि उनके ई0पी0एफ0 में जमा करने हेतु कटौती की जायेगी।	कार्यालय प्रधान, (व्यवस्थापक, बेतिया राज) पर ई0पी0एफ0 संधारण एवं उसमें राशि जमा करने की जिम्मेवारी होगी।
7.	पार्ट टाईम पिउन	900	श्रम संसाधन विभाग के द्वारा अकुशल मजदूरी के वर्तमान न्यूनतम **दर 424 रू0 प्रतिदिन के अनुसार कुल–11024 रू0 प्रतिमाह** तय किया जाय जिसमें से (13+12) = 25% राशि उनके ई0पी0एफ0 में जमा करने हेतु कटौती की जायेगी।	कार्यालय प्रधान, (व्यवस्थापक, बेतिया राज) पर ई0पी0एफ0 संधारण एवं उसमें राशि जमा करने की जिम्मेवारी होगी। अन्य कर्मी की भांति ये पूर्णकालिक रूप से पूरे कार्य समय कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
8०	पुजारी/सहायक पुजारी	900	1800 रू0 प्रतिमाह के अतिरिक्त भोग–राग/धुप आरती हेतु 600 प्रतिमाह निर्धारित किया जाय।	
9०	मंदिर टहलु	600	1200 रू0 प्रतिमाह निर्धारित किया जाय।	

2. बेतिया राज के कतिपय कर्मी पूर्व से बहुत ही कम दर अथवा बिना राशि के बेतिया राज के 1–2 एकड़ जमीन रखे हुए है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि बेतिया राज के उन कर्मियों का वेतनमान/मानदेय में वृद्धि तभी की जायेगी जब वह सरकार/कोर्ट ऑफ वार्ड्स (राजस्व पर्षद) द्वारा निर्धारित दर उक्त जमीन के बदले बेतिया राज कोष में जमा करें अथवा धारित भूमि बेतिया राज को वापस करें।

3. व्यवस्थापक, बेतिया राज संबंधित कर्मी के वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक वृद्धि करने से पूर्व उनकी सेवा की जांच/सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रस्ताव में माननीय अध्यक्ष–सह–सदस्य– सह–प्रतिपाल्य अधिकरण, बेतिया राज का अनुमोदन प्राप्त है।

राजस्व पर्षद के आदेशानुसार
25/4/25
(गिरिवर दयाल सिंह)
सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3/बे0 राज–56/2012– 1212 **पटना, दिनांक–** 25-04-2025

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/4/25
सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3/बे0 राज–56/2012– 1212 **पटना, दिनांक–** 25-04-2025

प्रतिलिपिः– माननीय अध्यक्ष–सह–सदस्य के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, बेतिया राज शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

25/4/25

सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।